इंजीनियर्स हनुमान जी के समान : मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा, कठिन से कठिन काम को सरल बनाने की क्षमता रखते हैं इंजीनियर्स

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंजीनियरों की तुलना हनुमान जी से की है. उन्होंने कहा है कि इंजीनियर्स एक प्रकार से हनुमान जी के समान है, जो कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाने की क्षमता और योग्यता रखते हैं.

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 20वीं शताब्दी में देश के कठिन समय में अभियांत्रिकी के नए कीर्तिमान गढ़े. मुख्यमंत्री डॉ. यादव सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लोक कल्याण से लोक निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अभियंताओं को नवीन तकनीक और कार्यपद्धति का प्रशिक्षण देकर कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से इंजीनियर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा भी की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अभियंताओं ने चिनाब ब्रिज जैसे निर्माण कर हर अवसर पर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग ने लोक कल्याण की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंता का अर्थ है आरंभकर्ता और हमारे इंजीनियर शुभारंभकर्ता हैं. सृष्टि का सबसे बड़ा अभियंता ईश्वर है, उन्होंने ही यह संसार रचा है. सृष्टि की इस संरचना के संचालन को अभियंताओं ने ही संभव बनाया है. भारतीय ज्ञान परम्परा में हमें कई अभियंताओं के योगदान की जानकारी प्राप्त होती है.

सिलावट इंदौर और विजयवर्गीय बदनावर में करेंगे पीएम मोदी की अगवानी

भोपाल. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 17 सितंबर को मप्र के एक दिनी दौरे के लिये मिनिस्टर इन वेटिंग तय कर दिये हैं. ये मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी भी करेंगे और उन्हें विदाई भी देंगे. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे और उन्हें विदाई देंगे. इसी तरह धार जिले के बदनावर में नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और हेलीपैड से उन्हें विदाई देंगे.

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राजभवन में रक्तदान शिविर और होंगी जाँचें

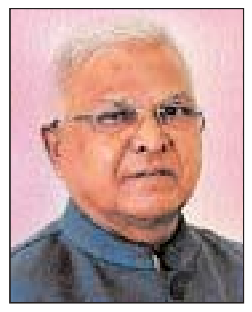

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए है. रक्तदान और नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया जाएगा. शिविर का संचालन प्रात: 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक होगा. राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि शिविर का आयोजन राजभवन और रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है. शिविर अवधि में आमजन स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता के महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. शिविर में आमजन की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच स्त्रीरोग और नेत्ररोग विशेषज्ञ करेंगे. कोठारी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि 17 सितंबर को राजभवन में आयोजित होने वाले शिविर में बड़ी संख्या में भाग लें. शिविर में रक्तदान कर मानवता के सेवा संकल्प में सहयोगी बने. नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ प्राप्त करें.

खाद को लेकर किसानों में आपसी संघर्ष, 5 घायल

मुरैना. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में आज तड़के खाद लेने के लिए वितरण केंद्र पर लाइन में आगे लगने को लेकर किसानों के बीच आपस में लाठीचार्ज हो गया, जिसमें पांच किसानों के घायल होने की खबर है.

जाहिर आम सूचना

सर्व-साधारण आमजन, व्यक्ति, संस्था, निकाय को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी स्व0 हरवीर सिंह, श्री प्रभुवीर सिंह, श्री चनवीर सिंह दोनो के पिता स्व0 हरवीर सिंह, सभी निवासी बोदाबाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 की भूमि खसरा क्र0 550/1 रकबा 0.073 हेक्टेयर / 8000 वर्गफिट, भूमि स्थित मौजा ग्राम खुटेही, पटवारी हल्का रीवा, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा म0प्र0 की भूमि को पंजीकृत साधारण बंधक के माध्यम से बंधक कर भवन ऋण प्राप्त करने हेतु LIC Housing Finance Ltd. Branch Rewa, Distt. Rewa (M.P.) में आवेदन किया है। जो भूमि श्री हरबीर सिंह की मृत्यु के पश्चात् श्रीमती जोगिन्दर कौर पत्नी स्व0 हरवीर सिंह, श्री प्रभुवीर सिंह, श्री चनवीर सिंह दोनो के पिता स्व0 हरवीर सिंह को प्राप्त हुई है तथा जिस भूमि के पूर्व भूमिस्वामी / क्रेता श्री हरबीर सिंह तनय स्व0 मेहर सिंह, निवासी बोदाबाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 द्वारा पूर्व स्वामी / विक्रेता श्रीमती गीता बनर्जी पत्नी स्व0 बी0के0 बनर्जी, अशोक कुमार बनर्जी तनय स्व0 बी0के0 बनर्जी, जयदीप बनर्जी पिता स्व0 बी0के0 बनर्जी की ओर से मुख्तारआम श्रीमती गीता बनर्जी से भूमि खसरा क्र0 550/1 का संपूर्ण रकवा 0.073 हे0 / 8000 वर्गफिट जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10/01/2003, दस्तावेज क्र0 5504 के माध्यम से क्रय किया गया था। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10/01/2003, दस्तावेज क्र0 5504 गुम हो जाना बताया है और यह भी बताया है कि उक्त संपत्ति कही गिरवी बन्धक भारित अनुबन्धित वसीयत या आदि किसी प्रकार से किसी संस्था के पक्ष में निक्षेप नहीं है, के बावत यह सर्वजानिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है की उक्त विक्रय पत्र के बावत जिस किसी व्यक्ति, बैकिंग संस्थाएं, सहकारी संस्थानएं, अर्द्धशासकीय निकाय, निजी वित्तीय संस्था, आमजन या अन्य कोई भी प्राधिकरण, जिन्हे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई बंधकाधिकार, विक्रयाधिकार, दावेदारी, स्वामित्व दावा अथवा कोई अन्य विधिक / अविधिक आपत्ति है या किसी भी प्रकार का भार गहन गिरवी, बन्धक अनुबन्धित वसीयत या किसी प्रकार से हित निहित हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार के कार्यालय LIC Housing Finance Ltd. Branch Rewa, Distt. Rewa (M.P.) व मोबाइल नं0 7987080595 या मेरे कार्यालय चेम्बर नं0 34, जिला न्यायालय के पीछे रीवा, जिला रीवा म0प्र0 मोबाइल नं. 9425357469, e-mail;- anandpandey1485@gmail.com में भी व व्यक्तिशह या अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालयीन समय दिन 11 बजे से 5 बजे के मध्य लिखित मौखिक व दूरभाष से विधिसम्मत दस्तावेजो एवं प्रामाणिक साक्ष्य सहित अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करे, यदि निर्धारित अवधि के अंदर कोई भी आपत्ति प्रस्तुती प्राप्त नहीं होती है तो यह विधिक रूप से मान लिया जायेगा कि उक्त संपत्ति पूर्णतया निर्विवाद एवं बंधकमुक्त है तथा उक्त संपत्ति पर LIC Housing Finance Ltd. Branch Rewa, Distt. Rewa (M.P.) का वैध, विधिक एवं सर्वोच्च प्रथम श्रेणी का बंधकाधिकार (First Charge) विधिपूर्वक विद्यमान होगा और वाद मुददत किसी भी संस्था व्यक्ति निकाय द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार नही होगी और न ही मेरे पक्षकार के ऊपर बंधनकारी होगी और मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को पाक-साफ मानते हुये वर्तमान स्वामी के पास भूमि के पंजीकृत मूल हक विलेख उपलब्ध यानी गुम हो जाने से पंजीकृत साधारण बन्धक कर ऋण प्रदान करेगा ।

स्थान :-रीवा — भवदीय

दिनांक :-13-09-2025 — **डा0 आनन्द कुमार पाण्डेय**

एडवोकेट रीवा म.प्र

वास्ते -LIC Housing Finance Ltd.

मालव विद्यालय को एक्सीलेंस स्कूल अवार्ड

इंदौर/भोपाल, 15 सितंबर. सांदीपनि मालव कन्या विद्यालय इंदौर ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का एक्सीलेंस राष्ट्रीय स्तर का स्कूल अवार्ड जीता है. अलायंस फॉर री-इमेजिनिंग स्कूल एजुकेशन अवार्ड (आराइज) फिक्की का प्रतिष्ठित अवार्ड है.

विद्यालय को अवार्ड बच्चों में अकादमिक विषयों से आगे बढ़कर भविष्य के लिये स्किल्स डेव्हलपमेंट के क्षेत्र में नवाचार किये जाने केलिये दिया गया है. विद्यालय के बच्चों को कम्प्यूटर में कोडिंग सिखाई जा रही है. इसी के साथ कम्युनिकेशन और क्रिएटिव की नई तकनीक सिखाई जा रही है. सरकारी स्कूल के बच्चों में स्किल डेवलप कर भविष्य के लिये तैयार किया जा रहा है. नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुए कार्यक्रम में अनेक शिक्षाविद् के साथ हाल ही में भारत से स्पेस स्टेशन पर गये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे.

प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि देश के एक हजार स्कूलों में इंदौर के सांदीपनि विद्यालय ने अपने नवाचार कार्यक्रम के जरिये यह पुरस्कार जीता है. पुरस्कार प्राचार्य रामकृष्ण कोरी और उनकी टीम ने प्राप्त किया. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पीपल फाउंडेशन की मदद से बच्चों में कम्प्यूटर में दक्षता के लिये यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है. ज्यूरी सदस्यों में केन्द्र सरकार की पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के चेयर पर्सन प्रो. पंकज अरोरा भी शामिल थे.

कल से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान

20 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविर, महिलाओं को मुफ्त जांच-इलाज

भोपाल ,15 सितम्बर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश से 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर प्रदेशभर में 20 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में महिलाओं को मुफ्त जांच, परामर्श और इलाज की सुविधा दी जाएगी.

अभियान का फोकस मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग और टीबी उन्मूलन पर रहेगा. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह अभियान प्रदेश के लिए अवसर और चुनौती दोनों है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों को इस अभियान से जोड़ा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार तक लाभ पहुंच सके. अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण की समीक्षा, किशोरियों में एनीमिया स्क्रीनिंग और उपचार किया जाएगा.

एनएचएम की एमडी डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिले, 5 विकासखंड, 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 10 निजी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा. शिविरों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, सिकल सेल, एनीमिया, टीबी और कुछ रोग की स्क्रीनिंग व इलाज की सुविधा होगी. मानसिक स्वास्थ्य, दंत रोग, मोतियाबिंद और श्रवण विकारों की जांच भी की जाएगी. प्रदेशभर में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित होंगे.

सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों का तत्परता से निराकरण करे अधिकारी : चन्द्रशेखर

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतो को विभागीय अधिकारी तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करे। समस्त उपखण्ड अधिकारी नामांतरण वटनवारा के लंबित प्रकरणो का अपने स्तर से निराकरण कराकर उनका पालन प्रतिवेदन दे।

उक्त आशय के निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा जिलाधिकारियों को दिया गया। कलेक्टर ने विभागवार लंबित सीएम हेल्प लाईन के शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि 50 दिवस, 100 दिवस की लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में अपने स्तर से निराकरण कर उनका प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। साथ ही इस आशय के भी निर्देश दिए गए कि समाधान बिंदु एवं सीएम डैस बोर्ड में जिन विभागीय प्रगति कम हैं दो दिवस के अंदर प्रगति लाना सुनिश्चित करे। ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा शिकायतो को अटेंड नही किया गया है, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण के निर्माण की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि निर्धारित समय आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण कराये, उन्होंने कहा कि संबिंधत विभाग अपने स्तर की इसकी मॉनिटरिंग भी करे। कलेक्टर ने चल रहे सीखो सप्ताह के प्रगति के संबंध में समीक्षा करते हुये कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी स्वयं एवं अपने अधिनस्थ कर्मचारियों का आईगोट पोर्टल में पंजीयन कर ऑन बोर्डिग की प्रक्रिया को पूर्ण करे, इसी के साथ पोर्टल आधारित ऑन लाईन कोर्स में पंजीयन कर इसका प्रशिक्षण प्राप्त करे। सभी विभागो को कम से कम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी, एसडीएम सृजन बर्मा, राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, सौरभ मिश्रा, नंदन तिवारी, देवेन्द्र द्विवेदी, तहसीलदार सविता यादव, जान्हवी शुक्ला, प्रीति सिकरवार, आरटीओ बिक्रम सिंह राठौर, डीईओ एसबी सिंह, आबकारी अधिकारी सतीश कश्यप, सीएमएचओ पुष्पराज सिंह, खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे।

जमोड़ी पुलिस ने नशीली कफ सिरप की 235 शीशियां जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया

सीधी 15 सितंबर, थाना जमोड़ी पुलिस ने नशीली कफ सिरप की 235 शीशियां जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

थाना जमोड़ी प्रभारी उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनखोरी निवासी पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय अवैध रूप से नशीली कफ सिरप बिक्री हेतु रखे हुए है। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

नवागत पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना जमोड़ी पुलिस टीम द्वारा नगदहा नाला धनखोरी के पास दबिश दी गई।दबिश के दौरान संदेही पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम धनखोरी के कब्जे से एक बोरी में रखी कोडीनयुक्त ऑनरेक्स कफ सिरप की कुल 235 शीशियां बरामद हुईं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 हजार 525 रुपए आंकी गई है। बरामद माल को विधिवत सील कर जब्त किया गया तथा आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।आरोपी का कृत्य धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, सउनि बीरभान, प्रधान आरक्षक गुरु प्रसन्न, सुनील बागरी, महेंद्र पाटले तथा आरक्षक ललित, नीरज पारासर, केपी सिंह, मानेंद्र शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महान एनर्जी ने अपने मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 15 सितम्बर। महान एनर्जी लिमिटेड के विस्थापितों के द्वारा कंपनी में कार्यरत ठेकेदार या पेटी कॉन्टैक्टर के अंदर में मजदूरी कर लेने से मिलने वाला मासिक जीवन निर्वाह भत्ता बंद कर दिया गया है, जिसे तत्काल दिलाया जाए।

ग्राम खैरही, नगवा, करसुआ लाल एवं बंधौरा तहसील माड़ा के भू-विस्थापितोंको 5 सितम्बर 2007 के अनुबंध के अनुसार कंपनी प्रबंधन द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर उन्हें स्थाई नौकरी प्रदान किया जाए। 58 वर्ष के ऊपर वृद्ध विस्थापितों को पेंशन स्वरूप जीवन निर्वाह भत्ता का ठीक आधा पेंशन दिया जाए। जिसे मुख्य रूप से उपस्थित रहे संध्या मिश्रा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सीधी-सिंगरौली विभाग प्रमुख रमन चौकी कर, जिला अध्यक्ष लखपति साकेत, निर्मेश तिवारी, बेनी वैश्य, जनक लाल सोनी, रेनु शाह, पूनम सिंह, विवेक सिंह, रामनरेश भारती व महान एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष रामाधार मौर्या, चंदन सोनी, उमेश कुशवाहा, मनीष चौबे, शिवटहल यादव, राजकुमार साकेत, गिरजा साकेत, त्रिवेणी साकेत, अमरेश विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, सुनील यादव, शिव सागर यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नाम सुधार सूचना

मैं छेद्दी चौधरी पिता बुधई चौधरी निवासी वार्ड नंबर 16 चंडी गंज सराय मैहर जिला मैहर मध्यप्रदेश का निवासी हूं मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं एल आई सी शाखा अमरपाटन में पॉलिसी क्रमांक 3574 79 378 में मेरा नाम सरमन रैदास लिखा हुआ है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में छेद्दी चौधरी अंकित है सरमन रैदास एवं छेद्दी चौधरी दोनों मेरे नाम है अत: आज से मेरा नाम छेद्दी चौधरी लिखा तथा पढ़ा जाए जो की सही एवं सत्य है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान (से.एजु.), शिल्पी प्लाजा "ए" ब्लॉक, जिला रीवा (म.प्र.)

Telephone No.- 07662-404114 E-mail Address-rewa.rmsa@gmail.com

क्र./SSA(SE)/ आई.सी.टी./ निविदा/2025/3362 — रीवा दिनांक 15/09/25

निविदा आमंत्रण

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिले के शासकीय विद्यालयों में निम्नानुसार कार्यों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	कार्य का विवरण	निविदा क्रमांक	निविदा आरंभ दिनांक	निविदा समाप्ति दिनांक
1	अटल टिकरिंग लैब	GEM/2024/B/6569178	20.08.2025	19.09.2025
2	आईसीटी लैब	GEM/2024/B/6600635	22.08.2025	22.09.2025

इच्छूक निविदाकार जेम पोर्टल पर ऑनलाइन निविदाओं में भाग ले सकते है। कार्य का विस्तृत विवरण एवं शर्ते जेम पोर्टल पर देखी जा सकती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान (से.एजु.) जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/0119/अपील/ 2025-26

जारी दिनांक 10.09.2025

पेशी दिनांक 26.09.2025

श्रीमती प्रमोदनी देवी गुप्ता पत्नी स्व. सीताराम गुप्ता, पुत्री स्व. रामसुंदर हलवाई गुप्ता निवासी ग्राम सिंगरौली तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) ....**अपीलार्थी**

बनाम

निशांत गुप्ता पिता स्व. भरत गुप्ता वगैरह निवासी ग्राम वैढ़न, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.) .... **उत्तरवादीगण**

सार्वजनिक सूचना/उपस्थिति बावत् नोटिस

प्रति

1. निशांत गुप्ता पिता स्व. भरत गुप्ता, 2. अंकित गुप्ता पिता स्व. भरत गुप्ता, 3. कविता देवी पिता स्व. भरत गुप्ता, 4. उर्मिला देवी पत्नी मोहन लाल हलवाई, 5. अंजनी पिता मोहन लाल हलवाई, 6. शोभा पिता मोहन लाल हलवाई, 7. नंदनी देवी पिता मोहन लाल हलवाई, 8. बबली पिता मोहन लाल हलवाई, 9. सुनील पिता मोहन लाल हलवाई, 10. दीपा पिता मोहन लाल हलवाई, 11. संतोष गुप्ता पिता बृजमोहन गुप्ता, 12. श्रवण पिता बृजमोहन गुप्ता, 13. पवन पिता बृजमोहन गुप्ता, 14. संतोषी गुप्ता पिता बृजमोहन गुप्ता, 15. संतोष गुप्ता पिता बृजमोहन गुप्ता, 16. सुषमा पत्नी स्व, ओमप्रकाश गुप्ता 17. अनवी गुप्ता पिता स्व. ओमप्रकाश गुप्ता नाबालिक (संरक्षिका मां सुषमा पत्नी ओमप्रकाश गुप्ता), 18. सारांश गुप्ता पिता स्व. ओमप्रकाश गुप्ता नाबालिक (संरक्षिका मां सुषमा पत्नी ओमप्रकाश गुप्ता), 19 प्रभात गुप्ता पिता राजकुमार गुप्ता, 20. प्रकाश गुप्ता पिता राजकुमार गुप्ता, 21. वंदना गुप्ता पिता राजकुमार गुप्ता, 22. चंदन गुप्ता पिता लक्ष्मण गुप्ता, 23. स्वाती गुप्ता पिता लक्ष्मण गुप्ता, 24. सोनू गुप्ता पिता लक्ष्मण गुप्ता, 25. श्रेया गुप्ता पिता शत्रुधन गुप्ता, 26. सुधांश गुप्ता पिता शत्रुधन गुप्ता, 27. गीता गुप्ता पत्नी राजकुमार, 28. साक्षी गुप्ता पिता अनिल कुमार गुप्ता, 29. शिवम गुप्ता पिता अनिल कुमार गुप्ता सभी निवासी ग्राम-बैढ़न, तहसील व जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपलार्थी श्रीमती प्रमोदनी देवी गुप्ता पत्नी स्व. सीताराम गुप्ता, पुत्री स्व. रामसुंदर हलवाई गुप्ता निवासी ग्राम-सिंगरौली द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी भू-अभिलेख परिवर्तित पंजी आदेश दिनांक 18.07.1984 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44 (1) के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दिनांक 26.09.2025 को तारीख पेशी नियत है। जिसमें आप उत्तरवादीगण की तलबी हेतु प्रकरण कई तारीख पेशियों से नियत हो रहा है। अत: नोटिस के जरिये आपको सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 26.09.2025 को ठीक 11:00 बजे इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। अन्यथा की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा और बाद की कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी

उपखण्ड अधिकारी
सिंगरौली
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा (म.प्र.)

क्रमांक- 824/E-Auction/Revenue/न.पा.नि./2025 — रीवा, दिनांक 15/09/ 2025

ई-नीलामी (ऑक्शन) आमंत्रण सूचना (प्रथम अवसर)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा वार्ड क्रमांक 20 में गांधी काम्पलेक्स ''सी'' ब्लॉक में निर्माणाधीन दुकानें जो रिक्त हैं, के 30 वर्षीय लीज पर अंतरण हेतु प्रीमियम तथा वार्षिक पट्टा-भाटक पर, मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016, यथा संशोधित नियम 2021, के नियम 3 के उप-नियम (1) (ड़.), यथा संशोधित नियम 2023 के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति/निविदाकार/फर्म, ऑन लाईन शुल्क जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। विवरण तालिका में दर्शित है। निर्धारित आवेदन पत्र शर्तो नियमावली के साथ रूपये 1000.00 का भुगतान कर ऑनलाईन प्राप्त किया जा सकता है। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं :-

1. ऑनलाईन भुगतान किये गये शुल्क के रसीद की स्कैन कॉपी।
2. शपथ पत्र रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडीसियल स्टॉम पेपर में नोटराइज किया हुआ, जिसमें उल्लेखित होगा कि व्यक्ति/निविदाकार/फर्म किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड या डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है। (मूल प्रति की स्कैन कॉपी)
3. आधार कार्ड। (मूल प्रति की स्कैन कॉपी)
4. पैन कार्ड। (मूल प्रति की स्कैन कॉपी)
5. निविदाकार को अपना स्थाई पता, मोबाईल नम्बर एवं अन्य जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। (स्कैन प्रति)
6. आरक्षित दुकानों हेतु जाति प्रमाण-पत्र (शासकीय विभाग द्वारा जारी) की मूल प्रति की स्कैन कॉपी।

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के अभाव में ई-नीलामी अमान्य कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी निविदाकार की स्वयं की होगी। ई-नीलामी संबंधित प्रमुख तिथियॉ निम्नानुसार है :-

1. ऑनलाईन निविदा फार्म खरीदने की प्रारंभ तिथि - 16/09/2025 समय शांय 18.00 बजे से।
2. ऑनलाईन निविदा फार्म खरीदने की अंतिम तिथि - 03/10/2025 समय शांय 18.00 बजे तक।
3. ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करने की प्रारंभ तिथि - 16/09/2025 समय शांय 18.00 बजे से।
4. ऑनलाईन निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि - 03/10/2025 समय शांय 18.00 बजे तक।
5. ऑनलाईन तकनीकी लिफाफा खुलने की तिथि - 06/10/2025 समय दोपहर 12.00 बजे से।
6. ऑनलाईन वित्तीय लिफाफा खुलने की तिथि - कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन सूचित किया जावेगा।
7. ऑनलाईन ई-ऑक्षन की प्रारंभ तिथि - कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन सूचित किया जावेगा।
8. ऑनलाईन ई-ऑक्षन की अंतिम तिथि - कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन सूचित किया जावेगा।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निविदाकार को ई-टेण्डरिंग पोर्टल ूण्उचजमदकमतेण्हवअण्पद मे आवश्यक शुल्क जमा कर पंजीयन कराना होगा। पोर्टल में पंजीयन के बिना कोई भी निविदाकार ई-नीलामी में भाग नहीं ले सकता। अधिकतम नीलामी प्रदाता (H1) निविदाकार का चयन सफल निविदाकार के रूप में किया जावेगा। प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करनी होगी। उच्चतम निविदादाता को विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा खुलने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर जमा करनी होगी शेष राशि मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम 2016 के संशोधित नियम 7 के अनुसार जमा करनी होगी। योजना के अभिन्यास का अवलोकन एवं विस्तृत जानकारी उपायुक्त (राजस्व) नगर पालिक निगम रीवा के कक्ष में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है। गांधी काम्पलेक्स ''सी'' ब्लॉक में निर्माणाधीन दुकानों का स्थल अनुसार विवरण एवं न्यूनतम प्रीमियम (आरक्षित मूल्य) निम्नानुसार है :-

क्र.	निविदा क्रमांक	दुकान क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम (आरक्षित मूल्य) प्रति दुकान	वार्षिक पट्टा-भाटक	आरक्षण श्रेणी	निर्धारित पंजीयन राशि (प्रतिभूति राशि)
1. गांधी काम्पलेक्स ब्लॉक ''सी'' दुकानें (भूतल)							
1.	2025_UAD_451699_1	3	25.67	रु. 46,43,000.00	निविदा में प्राप्त प्रीमियम के मूल्य का प्रथम 10 वर्ष हेतु 0.5%वार्षिक तत्पश्चात् अगले 20 वर्षों के लिए 2.00 : वार्षिक होगा।	अनारक्षित	रु. 1,16,075.00
2.	2025_UAD_451700_1	4	21.35	रु. 38,61,000.00		अनारक्षित	रु. 96,525.00
3.	2025_UAD_451701_1	5	23.92	रु. 43,26,000.00		अनारक्षित	रु. 1,08,150.00
4.	2025_UAD_451702_1	6	21.04	रु. 38,04,000.00		अन्य पिछड़ा वर्ग	रु. 95,100.00
5.	2025_UAD_451703_1	7	29.87	रु. 54,01,000.00		विकलांग, (दृष्टिहीन व्यक्ति को प्राथमिकता)	रु. 1,35,025.00
6.	2025_UAD_451704_1	8	28.57	रु. 51,66,000.00		अनारक्षित	रु. 1,29,150.00
7.	2025_UAD_451705_1	9	31.185	रु. 56,39,000.00		अनारक्षित	रु. 1,40,975.00
2. गांधी काम्पलेक्स ब्लॉक ''सी'' दुकानें (प्रथमतल)							
1.	2025_UAD_451706_1	3	25.67	रु. 38,68,000.00	निविदा में प्राप्त प्रीमियम के मूल्य का प्रथम 10 वर्ष हेतु 0.5%वार्षिक तत्पश्चात् अगले 20 वर्षों के लिए 2.00 : वार्षिक होगा।	अनारक्षित	रु. 96,700.00
2.	2025_UAD_451707_1	4	21.35	रु. 32,18,000.00		अनारक्षित	रु. 80,450.00
3.	2025_UAD_451708_ 1	5	23.92	रु. 36,05,000.00		अनारक्षित	रु. 90,125.00
4.	2025_UAD_451709_1	6	21.04	रु. 31,71,000.00		अनारक्षित	रु. 79,275.00
5.	2025_UAD_451710_1	7	29.87	रु. 45,01,000.00		अनुसूचित जनजाति	रु. 1,12,525.00
6.	2025_UAD_451711_1	8	28.57	रु. 43,05,000.00		अनारक्षित	रु. 1,07,625.00
7.	2025_UAD_451712_1	9	31.185	रु. 46,99,000.00		अनारक्षित	रु. 1,17,475.00
3. गांधी काम्पलेक्स ब्लॉक ''सी'' दुकानें (द्वितीयतल)							
1.	2025_UAD_451713_1	3	25.67	रु. 30,95,000.00	निविदा में प्राप्त प्रीमियम के मूल्य का प्रथम 10 वर्ष हेतु 0.5%वार्षिक तत्पश्चात् अगले 20 वर्षों के लिए 2.00 : वार्षिक होगा।	अनारक्षित वर्ग की विधवा	रु. 77,375.00
2.	2025_UAD_451714_1	4	21.35	रु. 25,75,000.00		अनुसूचित जनजाति	रु. 64,375.00
3.	2025_UAD_451715_1	5	23.92	रु. 28,84,000.00		अनारक्षित	रु. 72,100.00
4.	2025_UAD_451716_1	6	21.04	रु. 25,36,000.00		अनारक्षित	रु. 63,400.00
5.	2025_UAD_451717_1	7	29.87	रु. 36,01,000.00		अनुसूचित जाति	रु. 90,025.00
6.	2025_UAD_451718_1	8	28.57	रु. 34,44,000.00		अनारक्षित	रु. 86,100.00
7.	2025_UAD_451719_1	9	31.185	रु. 37,59,000.00		अनारक्षित	रु. 93,975.00

आयुक्त
नगर पालिक निगम,रीवा (म.प्र.)

जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा, जिला सतना म0 प्र0

चतुर्थ निविदा सूचना 2025-26

जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा, जिला सतना द्वारा सत्र 2025-26 (निविदा प्रकाशन से 30/04/2026 तक) के लिए निम्न मदों में लगने वाली सामग्री कय करने के लिए पंजीकृत फर्मों से सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म विज्ञापन प्रकाशन दिनाँक से 22/09/25 तक प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक कार्य दिवसों में रू.500/- नगद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्णरूपेण भरी हुई बंद निविदाएँ दिनाँक 23/09/25 अपराह्न 1.00 बजे तक विद्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वरा स्वीकार की जाएँगी एवं दिनॉक 23/09/25 को अपराह्न 4.00 बजे अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नागौद कार्यालय में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएँगी। निविदाएँ खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं, इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा के नाम एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नागौद में देय हो, स्वीकार की जाएगी। अध्यक्ष, क्रय सलाहकार समिति के पास किसी भी निविदा को आशिक या पूर्णरूप से बिना कारण बताए अस्वीकृत / स्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा में स्वीकृत की गई सामग्री यदि जैम पोर्टल पर उपलब्ध होगी तो विद्यालय उस सामग्री को जैम पोर्टल से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं निविदादाताओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मदवार धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	सामग्री का नाम	निर्धारित धरोहर राशि
1	दैनिक उपयोग की सामग्री	रु.20,000/-
2	बैडिंग सामग्री	रु.10,000/-
3	टकशॉप	रु.1,000/
4	42 सीटर बस किराया (टोल एवं अन्य करों सहित)	रु.1,000/
5	एम एण्ड आर सामग्री (बिल्डिंग सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट आदि)	रु.5,000/
6	सीसीटीव्ही कैमरा एवं रखरखाव	रु.5,000/-

प्राचार्य
जनवि रहिकवारा
जिला सतना